

पत्रावली पेश की गई थी
दिनांक 22-6-22 को पेश की

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (अलवर) राज.

22-6-22

आज यह पत्रावली पेश की गई। वादी एवं उनके अधिवक्ता कोई भी उपस्थित नहीं है। वादी एवं उनके अधिवक्ता को बार-बार आवाज दिलायी गई। किन्तु वादी एवं उनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं आये। वादी की अदम पत्नी एवं अदम पैरवी कसूची साबित होती है। अतः यह अदम/प्रार्थना पत्र वादी की अदम हाजरी व अदम पैरवी के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर जिला लेख भण्डार अलवर जमा करवाई जावे।

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (अलवर) राज.

